Gmail

State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com>

---

**महाराजगंज नगर पंचायत के क्षेत्र विस्तार के उपरान्त दिनांक 31.05.2025 को प्रकाशित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड के परिसीमन के दौरान पुराने वार्ड संख्या 14 के परिसीमन में की गयी अनियमितताओं के सम्बंध मे आपत्ति।**

---

**State Election Commission BIHAR** <secbihar@gmail.com>
To: SERAJ ALAM <serajalam309@gmail.com>

Wed, Jun 4, 2025 at 11:59 AM

On Tue, Jun 3, 2025 at 5:31 PM SERAJ ALAM <serajalam309@gmail.com> wrote:

> सेराज आलम
> वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 14
> नगर पंचायत महाराजगंज सिवान

--
State Election Commission
Bihar

**Received Mail.docx**
12K

2596
4.6.25

Gmail

State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com>

---

**महाराजगंज नगर पंचायत के क्षेत्र विस्तार के उपरान्त दिनांक 31.05.2025 को प्रकाशित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड के परिसीमन के दौरान पुराने वार्ड संख्या 14 के परिसीमन में की गयी अनियमितताओं के सम्बंध मे आपत्ति।**

1 message

---

**SERAJ ALAM** <serajalam309@gmail.com> Tue, Jun 3, 2025 at 5:31 PM
To: sdo.maharajganj@gmail.com, dm-siwan.bih@nic.in, comsaran-bih@nic.in, "secbihar@gmail.com" <secbihar@gmail.com>, secy-sic-bih@nic.in

सेराज आलम
वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 14
नगर पंचायत महाराजगंज सिवान

---

**CamScanner 06-03-2025 15.43.pdf**
783K

11

नगरपालिका निर्वाचन

वार्ड गठन/परिसीमन के विरुद्ध आपत्ति की पावती

(कार्यालय की प्रति)

1. जिला– सिवान
2. नगरपालिका का नाम – नगर पंचायत महाराजगंज
3. आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता – सेराज आलम, ग्रा० - रामापाली, वार्ड-15 महाराजगंज सिवान, मो०- 9708909309
4. वार्ड संख्या (जिनके विरूद्ध आपत्ति की गई है) – 15
5. आपत्ति की तिथि (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) – 03 06 025
6. आपत्ति का समय (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) – 02:47 PM

संलग्न आवेदन पत्र

3/6/25

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)

सेराज आलम
आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर

CS CamScanner

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,

महाराजगंज जिला- सिवान

विषय:-महाराजगंज नगर पंचायत के क्षेत्र विस्तार के उपरान्त दिनांक 31.05.2025 को प्रकाशित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो (वार्ड) के परिसीमन के दौरान पुराने वार्ड संख्या 14 के परिसीमन में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में आपत्ति।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदनपूर्वक कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 2177 दिनांक 31.05.2025 के आलोक में महाराजगंज नगर पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो (वार्डो) का परिसीमन करने के उपरान्त दिनांक 31.05.2025 को उक्त परिसीमन का प्रकाशंन किया गया है। इस परिसीमन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस कार्य में अंचल पदाधिकारी, महाराजगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी महाराजगंज एवं उनकी टीम ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं दिशानिर्देश का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया है।

दिनांक 31.05.2025 को प्रकाशित वार्डो के परिसीमन का अवलोकन करने के पश्चात इस सम्बन्ध में मेरी बिन्दुवार आपत्ति निम्नवत है :-

1. यह कि किन वजहों से नवगठित परिसीमन में वार्ड संख्या- 1, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 और 10 का परिसीमन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं निर्धारित मानक औसत जनसंख्या 1530 से काफी कम 1100 से 1300 के आस पास निर्धारित किया गया है ? इसकी क्या वजह है ? यह जॉच का विषय है ?
2. यह कि वार्ड संख्या- 1 से लेकर 10 तक जिसकी कुल आभादी लगभग 12000 दर्शायी गई है के लिए 10 वार्ड का सृजन किया है और शेष लागभग 14500 की आबादी के लिए केवल 7 वार्ड का सृजन किया गया है। यह सपष्ट तौर पर शेष 14500 की आबादी के साथ हुए नाइंसाफी को दर्शाता है। ऐसा कारने की क्या वजह है। इसकी जांच अपेक्षित है।
3. यह कि नवगठित वार्ड संख्या 17 जो पुराना वार्ड संख्या 14 है में अनुसूचित जाति की आबादी मुश्किल से 5 से 8 होगी, लेकिन इसे 54 दर्शाया है जबकि अनुसूचित जाति की आबादी मुश्किल से लगभग 20 से 25 होगी है लेकिन इसे शून्य दिखाया

CS CamScanner

गया है। अंचल पदाधिकारी, महाराजगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी महाराजगंज एवं उनकी टीम ने यह आँकड़ा कहाँ से प्राप्त किया है यह उनसे पूछा जाना चाहिए। इसकी जांच सांख्यिकी विभाग सिवान के वरीय पदाधिकारियों से करवाया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह कि परिसीमन से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा अंचल पदाधिकारी महाराजगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी महाराजगंज एवं उनकी टीम ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पत्रांक 2177 दिनांक 31.05.2025 के कंडिका 4 में वर्णित दिशानिर्देश कि यथासंभव औसत जनसख्या 1530 के निकट रखकर सीमांकन रखा जाएगा का अनुपालन नहीं किया है ?

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि ऊपर वर्णित मेरी आपतियो की निष्पक्ष जांच राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पत्रांक 2177 दिनांक 31.05.2025 के कंडिका 4 में दिए गये दिशानिदेश/मार्गदर्शिका और आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए करने की कृपा की जाय। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा।

विश्वासभाजन

(1) [illegible]

सेराज आलम
नगर पार्षद
वार्ड संख्या-14 नगर पंचायत
महाराजगंज (सिवान) बिहार

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) Sudhir Kumar

(5) Tahseen Raza

(6) [illegible]

(7) [illegible]

(8) [illegible]

(9) मधुरानी कुमारी

(10) Radha Kumari

(11) रीता देवी

(12) [illegible]

(13) Dinesh Kumar

(14) नैयाज आलम

(15) Dinesh Prasad

(16) MUKESH KUMAR

(17) Abhay Kumar.

(18) Dinesh Kumar Pal.

(19) संजीव कुमार सिंह

(20) शिव शंकर

(21) Sonu kumar

(22) [illegible]

(23) Biswajeet Bhagat

(24) [illegible]

(25) VARUN KUMAR

(26) Ankit Prakash

(27) [illegible] कुमार

(28) Prince Kumar Pal

(29) संगीता कुमारी

(30) गीता देवी.

(31) Annu Kumari Pal

(32) Sumit Kumar Pal

(33) [illegible]

(34) गायत्री देवी

(35) Anshu Kumar Pal

36 [illegible] KUMAR PAL

(37) [illegible]

(38) [illegible] कुमार

(39) Sanjay Kumar

(40) पूजा कुमारी

(41) शैलेश कुमार

(42) जानकी देवी

(43) दुनदुन महतो

(44) Ramesh Sah

(45) भृगुन महतो

(46) Sumit Sah

//

प्रतिलिपि :

1. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (निर्वाचन) -सह- जिला पदाधिकारी सिवान बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।
2. प्रमंडलीय आयुक्त सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।
3. निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

CS CamScanner

की सीमाओं में कोई संशय नहीं रहे एवं प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची स्पष्ट रूप से तैयार की जा सके। /10

(3) नगर निकाय की जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डों का विवरण निम्नांकित सूची के अनुसार निम्नवत निर्धारित है –

सूची (नगर पंचायत महाराजगंज)

| क्रम सं0 | जिला का नाम | नगर निकाय का नाम | 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या (नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के आधार पर) | अनुमान्य वार्डो की संख्या | वार्डों की संख्या पूर्णांकित करने पर | औसत जनसंख्या (पूर्णांकित) | मानक जनसंख्या (परास) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कुल जनसंख्या | | | | |
| 1 | सिवान | नगर पचायत महाराजगंज | 26020 | 17.01 | 17 | 1530 | 1030 - 2030 |

नोट– प्रथम 12 हजार की जनसंख्या हेतु 10 वार्ड तथा शेष 14020 की जनसंख्या हेतु प्रत्येक 2000 की जनसंख्या पर 1 वार्ड अर्थात् 7 वार्ड का गठन नियमानुसार किया गया है। इस प्रकार वार्डों की कुल संख्या 17 निर्धारित की गई है।

(4) उक्त नगर निकाय को अनुमान्य वार्डों में विखंडित करते समय यह ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक वार्ड की आबादी यथाशक्य संपूर्ण नगर निकाय में एक ही हो। मानक जनसंख्या निर्धारित करने का एक ही उद्देश्य है कि वार्डों के स्पष्ट सीमांकन में अगर व्यवधान हो रहा हो तभी जनसंख्या औसत जनसंख्या से विचलित कर मानक जनसंख्या के मध्य तक की सीमा में रखी जायेगी, अन्यथा यथासंभव औसत जनसंख्या या उसके निकट रखकर सीमांकन सम्पन्न किया जायेगा। नगर निकाय के चुनाव के लिए 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है, अर्थात् 2011 की जनगणना में जो आबादी दर्शायी गयी है उसी के आधार पर वार्डों का गठन किया जायेगा। वार्डों के गठन में अत्यधिक सतर्कता एवं पारदर्शिता बरती जानी चाहिए ताकि वार्डों का गठन जाति/धर्म/समुदाय/राजनीतिक आधार पर नहीं हो।

(5) अगर किसी विशेष कारणवश मानक जनसंख्या के अधीन किसी वार्ड का गठन करना संभव नहीं हो तो पूर्ण औचित्य के साथ स्पष्ट विवरण आयोग को भेजा जाएगा, जिस पर विचारोपरांत आयोग सम्यक आदेश देगा।

ध्यातव्य रहें कि मानक जनसंख्या से विचलन की स्थिति में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रपत्र–6 में प्रारूप प्रकाशन के पूर्व ही प्रेषित किया जाए। प्रस्ताव के साथ इसको तैयार करने वाले पदाधिकारी को आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु प्राधिकृत किया जाए। प्राधिकृत पदाधिकारी साक्ष्य स्वरूप आयोग के इस पत्र/चेकलिस्ट में दिये गये निदेशों के अन्य बिन्दुओं के अनुपालन प्रतिवेदन साथ में लेकर उपस्थित होंगे, ताकि वे भौगोलिक बाध्यताओं एवं औचित्यपूर्ण कारणों से आयोग को अवगत करा सकें। किसी भी स्थिति में प्रारूप प्रकाशन के उपरांत विचलन की स्थिति में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव आयोग को प्रेषित नहीं किया जाए।



Scanned with CamScanner

CS CamScanner